

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक :- ५०५

दिनांक :- 13-7-17

विज्ञप्ति

महिला अधिकारिता विभाग द्वारा राजकीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, टोंक में स्वीकृत सखी: वन स्टॉप सेन्टर (OSC) के संचालन हेतु पंजीकृत गैर शासकीय संस्था से वित्तीय वर्ष 2017-18 में परामर्शदाताओं की सेवाएँ लेने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र की पात्रता की शर्तें तथा अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किए जाकर सहायक निदेशक महिला अधिकारिता टोंक के कार्यालय में दिनांक 31 जुलाई 2017 सांय 4.00 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं। सम्पर्क नं. 01432-254705

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर
टोंक

दिनांक :- 13-7-17

क्रमांक :- ५०५
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जिला टोंक
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक
6. अध्यक्ष, जिला बार काउंसिल टोंक
7. प्रोगामर, महिला अधिकारिता राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. A.C.P अटक सेवा केन्द्र टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

“सखी: वन स्टॉप सेन्टर” हेतु पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से
परामर्शदाताओं का चयन

आवेदन प्रपत्र (मय दिशा निर्देश)

घरेलू हिंसा अथवा उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को हर सम्भव सहायता एवं राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, टोंक द्वारा “सखी: वन स्टॉप सेन्टर” का संचालन राजकीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, टोंक में किया जा रहा है। यह केन्द्र 24 घन्टे कार्यशील रहेगा।

केन्द्र पर आने वाली पीड़ित महिलाओं को तुरन्त सहायता/मार्गदर्शन एवं उनके सवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की जानकारी उपलब्ध करवाये जाने हेतु चार परामर्शदाताओं (महिला) को पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से चयन कर 10 अगस्त 17 से आगामी आदेश तक अनुबंधित किया जाना है। जिसके संबंध में दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-

क- संस्था संचालन संबंधी जानकारी

1. संस्था रजिस्ट्रेशन की दिनांक
2. संस्था में नियुक्त महिला परामर्शदाता - नाम, फोटो, पता, योग्यता, अनुभव एवं टेलीफोन/मो नम्बर/ई-मेल (बायोडाटा मय स्व-प्रमाणित पृथक से संलग्न किये जाए)
 - (1)
 - (2)
 - (3)
 - (4)
3. संस्था के द्वारा किये गये कार्यों का विवरण।
4. महिला उत्पीड़न/कल्याण के क्षेत्र में किये गये अन्य कार्यों का विवरण।
5. क्या संस्था के प्रति किसी प्रकार की शिकायत हुई है अथवा संस्था को ब्लैक लिस्ट किया गया है? यदि हाँ तो उनका संक्षिप्त विवरण।

